रेल संपत्ति (वि0वि0क0) अधिनियम के अंतर्गत माह–दिसम्बर–2013 मे पंजीकृत मामले

माह	हल किये गये मामले	बरामद संपत्ति की कीमत	गिरफ्तार		
			बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
दिसम्बर–2013	43	228085	61	00	00

रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह दिसम्बर 2013

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
दिसम्बर 2013	43	43	232660	228085	61	00	00

बुकशुदा संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह दिसम्बर 2013

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
दिसम्बर–2013	00	00	00	00	03	00	00

रेल सामग्री की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह दिसम्बर 2013

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
दिसम्बर 2013	43	42	232660	228085	58	00	00

j-l-|-c- }kjk ekg दिसम्बर–2013 dk nkSjku

किये गये अच्छे कार्यो का ब्यौरा

01. दिनांक 02.12.2013 को तुर्की स्टेशन (रीवा–सतना खण्ड) से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा BPAC DP को पूरी तरह से उखाड़ कर चोरी कर लिये जाने की सूचना पर उपनिरीक्षक/रेसुब पोस्ट सतना श्री धर्मेन्द्र पटेल एवं स्टाफ के स्थल कि.मी.नं. 1218/2–3 तुर्की स्टेशन पर पहुंचकर श्री रवीकुमार खण्ड अभियंता सिगनल रीवा व श्री राम प्रकाश सिंह ईएसएम तुर्की के साथ मौका मुआयना करने पर पाया कि उपरोक्त घटनास्थल किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक नग BPAC DP खोलकर चोरी कर ले जाना पाया, चोरी गई रेल संपत्ति की कीमत 1,66,000 रुपये आंकी गई। दौरानें जांच दिनांक 08/12/13 को मुखबिर की सूचना पर रेलवे गेट के पास एक बाहरी व्यक्ति आनंद प्रताप उर्फ बन्टा आत्मज कन्हैयालाल सिंह पटेल उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम महिदल थाना रामपुर बघेलान जिला सतना (म.प्र.) को पकड़कर उसके कब्जे से उक्त रेल संपत्ति को जप्त कर बरामदगी की गई है। जांच के दौरान एकत्र किये गये साक्ष्यों एवं मामले मे पकड़े गये आरोपी आनंद प्रताप उर्फ बन्टा का कथन दर्ज करने पर मामला रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1966 का पाये जाने पर आरोपी उपरोक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 17/ 13 U/S 3(a) /RP(UP) act 1966 & 174 Railway Act, Dt 08.12.13 पंजीकृत किया गया तथा मामलें में 02 अन्य आरोपियों को फरार घोषित कर गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

02. दिनांक 07.12.2013 को प्रधान आरक्षक चंदनसिह को डियूटी के दौरान एक बाहरी बालक लावारिश हालत मे हबीबगंज स्टेशन पर घूमते हुये मिला। जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम आयुष राणा पुत्र रघुवीर सिह राणा उम्र 17 साल 02 माह निवासी मकान नंबर 1209 एल.आई.जी. सेक्टर 31 गुडगांव हरियाणा को रेल सुरक्षा बल थाना हबीबगंज लेकर आये और उसके पिता श्री रघुवीर सिहं राणा कों उनके मोबाईल पर संपर्क कर सूचना दी गई बाद दिनांक 07.12.13 को ही बालक के पिता रेल सुरक्षा बल थाना उपस्थित हुये और उन्होने बताया कि उनके बेटे को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गुमराह करके ले गया है। जिनके द्वारा अपना आधार कार्ड किशोर बालक का फोटो व उनके द्वारा कराई गई एफआईआर नंबर 395, धारा 363,346 आईपीसी 1860 दिनांक 05.12.2013 की प्रति उपनिरीक्षक एम.पी.शर्मा के समक्ष पेश करने पर उक्त किशोर बालक को समक्ष गवाहन उपनिरीक्षक एम.पी.शर्मा द्वारा उन्हे सुपुर्द किया गया व सुपुर्दगी पंचनामा पर हस्ताक्षर लिये गये। किशोर बालक के पिता द्वारा रेल सुरक्षा बल विभाग का आभार व्यक्त किया गया।

03. उप निरीक्षक/भरतपुर पवन कुमार भार्मा ने नोट कराया कि दिनाँक 12. 12.2013 को एक व्यक्ति धर्मपाल ने अपने पुत्र देवेन्द्र सिंह उम्र– 15 वर्श,

निवासी– आनन्द नगर, भरतपुर को गुम होने की सूचना दिया। इस पर उनि पवन कुमार भार्मा द्वारा गाड़ी सख्या 19024 जनता एक्स0 की सुरक्षा पार्टी मे तेनात प्र0आर0 राजेन्द्र गोतम व आर0 खेमचन्द को उक्त बालक के गुम होने की सूचना दी। सुरक्षा पार्टी ने जब गाड़ी के कोटा आने पर चेक किया तो उक्त बालक कोटा स्टे ान पर मिला जिसे वापिस गाड़ी संख्या 19023 डा0 जनता एक्स0 से भरतपुर लेकर गये। सिविल पुलिस भरतपुर में उक्त बालक की गुम ुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। उक्त बालक को समस्त कानूनी कार्यवाही उपरांत पुलिस कोतवाली भरतपुर आरक्षक भगत सिंह नं0 1609 को सकु ाल सुपुर्द किया गया।

04. दिनांक 14.12.13 को उपनिरीक्षक श्वेता सूर्यवंशी हमराह स्टाफ आरक्षक सागर सिंह मीणा के भोपाल स्टेशन पर गस्त के दौरान एक बालक को लावारिस हालत मे अकेले प्लेटफार्म पर घूमता दिखाई देने पर बालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम गणेश पटेल पुत्र प्रकाश उम्र 06 साल निवासी सिंधी केंप जबलपुर बताया उक्त बालक को रेसुबल थाने लेकर आये बाद बचपन संस्था की कार्यकर्ता जमुना फालके से संपर्क कर बच्चे को बचपन संस्था मे उसके परिजनो के आने तक रखने हेतु सुपुर्द किया बाद बचपन संस्था के माध्यम से जानकारी प्राप्त होने पर दिनांक 17.12.13 को बचपन संस्था के संजीव कुमार बच्चे के पिता प्रकाश पटेल व मां मंजू पटेल और जबलपुर थाना हनुमानताल के प्रधान आरक्षक गुलाम अहमद रेसुबल थाना भोपाल पर उपस्थित हुये और उक्त प्रधान आरक्षक ने बालक के गुमसुदगी की प्रथम सूचना रिपोर्ट कायम होना बताया पूछताछ करने पर उक्त दोनो व्यक्तियो ने बालक गणेश को अपना बच्चा होना बताया, बच्चे द्वारा प्रकाश पटेल को पिता व मंजू पटेल को अपनी मां होना बताया बाद बचपन संस्था के कार्यकर्ता संजीव के साथ बच्चे को उसके माता–पिता को सुपुर्द किया गया है।

05. दिनॉंक 15.12.2013 को गाड़ी संख्या 22981 कोटा–हनुमानगढ़ से एक यात्री सुलभ भार्मा पुत्र हनुमान भार्मा निवासी–325,रंगपुर रोड़ कोटा मोबाईल नं0 9413943043 ने रे0सु0ब0 थाना सवाईमाधोपुर में एक गुम ुदा लड़के को लाकर सउनि रामलखन यादव को सुपुर्द किया तथा बताया कि यह उक्त गाड़ी के सामान्य कोच में अकेले यात्रा करते हुये मिला। पूछताछ करने पर लड़के ने अपना नाम धर्मेन्द्र पुत्र श्री मुके ा कु ावाह, उम्र– 13 वर्श, निवासी– आर्दश विधानिकेतन स्कुल के पास सुन्दर नगर कोटा गली–6 थाना– न्यू रेलवे कॉलोनी कोटा बताया। उसके पास टिकट आदि नही था उक्त बच्चे के पिता को मोबाईल नं0 8003216680 पर सूचना दी गई जिस पर उसके पिता रे0सु0ब0 थाना सवाईमाधोपुर में उपस्थित हुये पहचान होने पर दो पंचो एवं ऑन ड्यूटी डिप्टी एस/सवाईमाधोपुर के समक्ष समस्त कानूनी कार्यवाही उपरान्त उक्त बच्चे को उसके पिता को सुपुर्द किया गया।

jsy vf/kfu;e ds rgr ekg fnlEcj&2013 esa dh xbZ dk;Zokgh dk fooj.k&

/kkjk	iathd`r ekeys	tqekZuk :- esa
137	2211	1092648
138	7782	3153328
139	00	00
141	193	97865
142	00	00
143	03	00
144	1016	250320
145	440	42950
146	06	1300
147	802	108650
153	00	00
154	14	48800
155	548	41900
156	179	13000
157	00	00
159	483	44200
160	10	4000
161	01	6000
162	271	11000
163	00	00
164	00	00
165	00	00
166	00	00
167	49	2100
172	00	00
173	00	00
174	11	25000
175	00	00
176	00	00
180–जी	00	00
dqy ;ksx	14019	4943061